



Ares
9.99 Rec

204

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 76584066e2b26dde9061
Receipt Date : 22-Jul-2021 01:54:01 pm
Receipt Amount : 154760/-
Amount In Words : One Lakh Fifty Four Thousands Seven Hundred And Sixty Rupees Only
Token Number : 20210000072386
Office Name : SRO - Madhupur
Document Type : Sale Deed
Payee Name : PANKAJ KUMAR PANDEY (Vendee)
GRN Number : 2106580383



दिनांक: 21 और का मुद्रांक डा. 20 (ग. स. सं. सं.)	के प्रयोग For Office Use :- दि. 22-7-21 को हे अंत के में सहित (अशुद्धि नहीं) निम्नलिखित परीक्षण	Recp - 10 A.C. 116070 = 0 C.C. 3 = 0 P.R. 1 = 0 116,074	Stamp 154460
---	---	---	-----------------

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

23/07/2021

विक्रय पत्र

बिक्रेता :- श्रीमती मनोरमा देवी पति स्वर्गीय इन्द्रदेव यादव उर्फ साखा यादव, जाति ग्वाला, पेशा गृहस्वामिनी आदि, साकिन उंगालपाड़ा, मधुपुर टाउन, थाना व सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता :- भारतीय।
आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

क्रेता :- 1 श्री पंकज कुमार पाण्डेय, पिता वृंदावन पाण्डेय।
2. श्रीमती नंदनी पाण्डेय, पति श्री पंकज कुमार पाण्डेय।
जाति ब्राहमण, पेशा न0 1 नौकरी, न0 2 गृहस्वामिनी, साकिनान बाबुपुर, पत्रालय सगरभंगा, थाना चितौरा, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता :- भारतीय। आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :- कुल 38,69,000/- अड़तीस लाख उनहत्तर हजार रुपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विहित हो कि जिला संधाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री देवघर, हाल सबडिविजन मधुपुर, थाना मधुपुर, तालुक पाथरोल, सामील मौजा संपाहा महल्ला कालीपुर टाउन के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा को काली प्रसन्न चक्रवर्ती ने सन 1921 ईस्वी में पाथरोल ईस्टेट के घाटवाल से बसौड़ी सुरत प्राप्त किया व उसपर दखल कब्जा लेकर व उसमें "निलीमा कुटीर" नामक पक्का मकानादि बनाकर, सालाना खजाना व नगरपालिका कर आदाय करते हुए ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे व उनके स्वर्गवास कर जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती विभावती देवी व तीस पुत्रगण क्रमशः देवी प्रसन्न चक्रवर्ती, रमा प्रसन्न चक्रवर्ती व उमा प्रसन्न चक्रवर्ती वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति के मालिक व अधिकारी होकर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

- 1 -

दस्तावेज जांच किया

23-07-2021

लिपिक

23-07-2021

P3 / 12/1/1941

उपर्युक्त श्रीमती विभावती देवी पति स्वर्गीय काली प्रसन्न चक्रवर्ती, देवी प्रसन्न चक्रवर्ती, मा प्रसन्न चक्रवर्ती व उमा प्रसन्न चक्रवर्ती, तीनों के पिता स्वर्गीय काली प्रसन्न चक्रवर्ती, किनान 15 नम्बर यदु मित्र लेन, पत्रालय श्यामबाजार, शहर कलकत्ता, निबंधन समय किनान व थाना मधुपुर, जिला संचाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासीगण ने दिनांक 24/11/1941 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक क्रमांक 01, जिल्द संख्या 05, जिसकी संख्या 295 वर्ष 1941 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति का स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा मय "निलीमा कुटीर" नामक मकानादि, मय कुल हक हकूक, खगेन्द्र नाथ बाग पिता अमुल्य चरण बाग, साकिन 3 नम्बर मारहाटो डिम न, पत्रालय बाग बाजार, शहर कलकत्ता के निवासी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त खगेन्द्र नाथ बाग उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त खगेन्द्र नाथ बाग पिता स्वर्गीय अमुल्य चरण बाग, साकिन 7/1, महाराथा डिम न, कलकत्ता के निवासी ने दिनांक 21/07/1944 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 07/07/1944 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र संख्या 01 वर्ष 1944 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति रकवा स्थानीय माप से 01 (एक) बीघा मय पहले "निलीमा कुटीर" बाद में "इन्दु निलया" नामक मकानादि, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका नं० 02, होल्डिंग नं० पुराना 121, उसके बाद 222, मय कुल हक हकूक, कुँज बिहारी पिता मोहन लाल घोष, साकिन नं० 1 लाईट हाउस बिल्डिंग, कलकत्ता के निवासी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उक्त मौजा संपाहा महल्ला कालीपुर टाउन के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा, के कविराज रामचन्द्र मल्लिक पिता स्वर्गीय द्विजापद नाथ, साकिन नं० 37 कोर्नवालिस स्ट्रीट कलकत्ता के निवासी मालिक रहते हुए उसके द्वारा सालाना खजाना आदाय करते हुए व उसपर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए दिनांक 31/08/1955 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र संख्या 1, जिल्द संख्या 108, पृष्ठ संख्या 114 से 119 में निबंधित जिसकी संख्या 4046 वर्ष 1955 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति के अन्दर उत्तर तरफ रकवा स्थानीय माप से कमबेसी (एक) कट्टा, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से घिरा अंश

पृ 3 / 12/1989

मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष पिता मोहन लाल घोष, साकिन न0 22 चौरंगी, कलकत्ता के निवासी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त कविराज रामचन्द्र मल्लिक अवशेष रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 05 (पाँच) कट्टा पर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए स्वर्गवास कर जाने पर उनके एकमात्र पुत्र व कानूनी उत्तराधिकारी तरुण चन्द्र मल्लिक वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति के एकमात्र मालिक व दखलकार हुए।

उपर्युक्त तरुण चन्द्र मल्लिक पिता स्वर्गीय कविराज रामचन्द्र मल्लिक, साकिन 106 विवेकानन्द रोड कलकत्ता-6 के निवासी ने दिनांक 18/05/1972 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 02, जिल्द संख्या 79, पृष्ठ संख्या 34 से 67 में निबंधित जिसकी संख्या 209 वर्ष 1972 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 05 (पाँच) कट्टा, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से घिरा अंश, मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष पिता मोहन लाल घोष, साकिन न0 22 चौरंगी रोड, कलकत्ता-13 के निवासी के पास बिक्री कर देने पर उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त कुँज बिहारी घोष उक्त तीनों दस्तावेजों द्वारा मोट खरीदगी रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 02 (दो) बीघा मय मकानादि पर ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे व उनके स्वर्गवास कर जाने पर उनके दो पुत्र व कानूनी उत्तराधिकारी श्री अशोक घोष व श्री अनुप घोष अवशेष रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा, 17 (सतरह) कट्टा, 09 (नौ) धुर मय मकानादि के वारिस सुत्र से मालिक व अधिकारी होकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में नामान्तरण वाद, संख्या 81/1989-90 के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर थोका न0 50+50ए+53 के बावत सालाना खजाना 37.25 रुपये अलावे शेष बगैरह आदाय करते हुए व उसमें बने पुराने मकान को तोड़कर व उसे सरजमीन व चौरस बनाकर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

Pr
मनोरमा

उपर्युक्त श्री अशोक घोष व श्री अनुप घोष ने दिनांक 26/03/2011 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 30, पृष्ठ संख्या 589 से 646 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 959 दस्तावेज संख्या 778 वर्ष 2011 ईस्वी के द्वारा मौजा संपाहा कालीपुर टाउन के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, रकवा स्थानीय माप से कमबेसी 01 (एक) बीघा, 17 (सतरह) कड्डा, 09 (नौ) धुर, यानि 42,131.25 वर्गफीट (बैयालीस हजार एक सौ एकतीस दशमलव दो पाँच वर्गफीट), यानि 96.720 डिसमिल, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन "क", अन्दर मिलजुमले थोका न0 53+50+50ए, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 पुराना 02, उसके बाद 05, नया 05, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक उपर्युक्त मुझ बिक्रेता श्रीमती मनोरमा देवी के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त मैं बिक्रेता मनोरमा देवी उक्त खरिदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में नामान्तरण वाद संख्या 34/2013-14 के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर थोका न0 53+50+50ए के बावत सालाना खजाना आदाय करती हुई आतजक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारिणी हूँ।

अंचल कार्यालय मधुपुर संख्या 47/2020, दिनांक 21/10/2020 ईस्वी के द्वारा भूमि हस्तान्तरणीय सत्यापित है।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है, इसलिये उक्त खरिदगी सम्पत्ति के अन्दर रकवा 4,352 वर्गफीट जिसका पुर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 38,69,000/- अड़तीस लाख उनहत्तर हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 38,69,000/- अड़तीस लाख उनहत्तर हजार रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्त रसीद अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

23/12/2021

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व सत्ववती तथा दखलकार व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पुर्वक भोग दखल करते रहें, इसमें हम बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज-आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है, व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का वाय संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से व हर तरफ से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 23/12/2021

अनुसूची सम्पत्ति

थाना no 265, जिला देवघर, सबडिविजन मधुपुर, सबरजिष्ट्री देवघर, थाना मधुपुर, अंचल मधुपुर, सामिल मौजा संपाहा कालीपुर टाउन के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, रकवा 4,352 वर्गफीट (चार हजार तीन सौ बावन वर्गफीट), यानि 9.99 डिसमिल परती जमीन, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन "क", अन्दर मिलजुमले थोका न0 53+50+50ए, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 पुराना 02, उसके बाद 05, नया 15, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किये जिसकी चौहद्दी---

उत्तर :-12'-00" फीट कॉमन पैसेज।

दक्षिण :-रमेश यादव की जमीन।

पुरब :-कैलाश यादव की जमीन।

पश्चिम :-बिकेता की जमीन।

घोषणा :-उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क से सटे है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त सम्पत्ति सी. बी. आई के जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाही के भागी होउंगी।


गवाहान

Ajmer Yadav
Shri. Lata Indrdev Yadav

At - Dargahpura
Mandirpur in Deoghara

Ram Kumar Gupta
Shri. Anand Prasad
S-R-D. Raw
Mandirpur-6.
Deoghara

रमेश यादव



प्र
म
र
र
र

रकम प्राप्ति रसीद

1. Cheque no. 353366 Dated 22/07/2021 Bank of Baroda of Rs = 9,75
 2. Cheque no. 353367 Dated 22/07/2021 Bank of Baroda of Rs = 9,75,
 3. Cheque no. 353368 Dated 22/07/2021 Bank of Baroda of Rs = 9,75,02
 4. Cheque no. 353369 Dated 22/07/2021 Bank of Baroda of Rs = 9,33,00
- - - - - of Rs = 11,00
 5. by Cash - - - - -
- Total Rs = 38,58,00

(Rupees Thirty Eight Lakh Sixty Nine Thousand) only as full
final Consideration Amount.

N
 ←→

WITHIN MADHUPUR MUNICIPAL WARD No. 15, SUB-PLD1 NO. 01, AREA 1, DEVI W/O INDRABEN MORE OR LESS, SHOWN IN RED COLOUR BELONGS TO MANORITA DEVI W/O INDRABEN YADAV R/O - DANGALPARA, P.S. - MADHUPUR, DIST. - DEOGHAR. NOW SOLD TO (1) NANDANI PANDEY W/O PANKAJ KUMAR PANDEY AND (2) PANKAJ KUMAR PANDEY S/O BRINDABAN PANDEY BOTH R/O - BABUPUR, P.O. - 34618 - BHANGA, P.S. - CHITRA, DIST. - DEOGHAR.

Rs 100/-

AREA - 4352.9 FT



Prepared by
 P.K.N. Mishra

PDF Created Using



Camera Scanner

Easily Scan documents & Generate PDF



<https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.pdf maker>